न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

मु0न0 06/2023 रजू दिनांकः– 13.01.2023

पीठासीन अधिकारीः– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

मेघचन्द पुत्र बंशी जाति मीना निवासी मातासूला तहसील टोडाभीम।

सायल

बनाम

1. कम्बूराम पुत्र गिर्राज
2. भरतलाल पुत्र गिर्राज
3. रामखिलाडी पुत्र गिर्राज

समस्त जातियान मीना निवासीयान मातासूला तहसील टोडाभीम।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री लखन लाल मीना एडवोकेट सायल
श्री नन्दराम बैरवा गैरसायल न0 1 ता 3

निर्णय दिनांकः– 29.11.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मातासूला की आराजी ख0न0 1257/0.54, 474/0.05, 475/0.05, 477/0.05, 485/0.25, 486/0.01, 487/0.13, 496/0.15 कुल किता 8 कुल रकवा 1.23 है0 मे सायल 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है शेष 1/2 हिस्से मे गैरसायल न0 1 ता 3 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजीयात का बाहमी बटवारा हो चुका है गैरसायल न0 1 ता 3 आये दिन डोल मेड को काटते रहते है एवं सायल के हिस्से मे ईधन, बडीता डालते है, मना करने पर गैरसायलान झगडा करने पर उतारू हो जाते है। इस कारण गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना आवश्यक है।

वाका दिनांक 10.01.2023 का है कि गैरसायलान ने सायल की खातेदारी जमीन की डोल मेड को काटते रहते है। एवं सायल की आराजी मे ईधन बडीता डालते है मना करने पर गैरसायलान ऐलानिया धमकी दही कि तेरी कुछ भी जमीन नही है। हमारी मर्जी होगी वेसे करेगे। यदि गैरसायलान सायल की जमीन को हडप लेगे तो सायल भूमिहीन हो जावेगा। इस कारण गैरसायलान के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

सायल का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्वान्त भी सायल के पक्ष मे है अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नही है। जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी संभव नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:57:17 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश [illegible] अर्ज [illegible] कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को ता[illegible] फैसला दावा इस अ[illegible] पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम मातासूला की आराजी ख0न0 1257/0.54, [illegible], 475/0.05, 477/0.05, 485/0.25, 486/0.01, 487/0.13, 496/0.15 कुल कि[illegible] 8 कुल रकवा 1.23 है0 ।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Scanned with OKEN Scanner

सायल के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। डौल मेड को नही तोडे। सायल की जमीन से सायल के ईधन बडीता को नही फैके।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल न0 1 ता 3 ने जरिये वकालतन जबाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे गैरसायल मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से के सायल सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। गैरसायलान सायल के हिस्से की आराजी की डोल मेड को नही तोडते बल्कि सायल के मन मे बदयान्ति आई है जिस कारण सायल गैरसायलान के हिस्से मे आई कीमती व उपयोगी भूमि को हडपने की गरज से गलत तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। सायलान का प्राईमाफेसी केस साबित नही है ना ही सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे साबित है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति होना असंभव है। वर्णित आराजीयात मे गैरसायलान भी हिस्सेदार है और प्रत्येक इंच पर सहखातेदार का कब्जा माना जाता है इसलिये कानूनन खातेदार को पाबन्द नही किया जा सकता। अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षकारान वकील की बहस सुनी गई। सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम मातासूला की आराजी कुल किता 8 कुल रकवा 1.23 है0 मे सायल 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है शेष 1/2 हिस्से मे गैरसायल न0 1 ता 3 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजीयात का बाहमी बटवारा हो चुका है गैरसायल न0 1 ता 3 आये दिन डोल मेड को काटते रहते है एवं सायल के हिस्से मे ईधन, बडीता डालते है, मना करने पर गैरसायलान झगडा करने पर उतारू हो जाते है। सायल का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्वान्त भी सायल के पक्ष मे है अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नही है। जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी संभव नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात कुल किता 8 कुल रकवा 1.23 है0 मे सायल के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। डौल मेड को नही तोडे।

गैरसायल वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे गैरसायल मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से के सायल सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। गैरसायलान सायल के हिस्से की आराजी की डोल मेड को नही तोडते बल्कि सायल के मन मे बदयान्ति आई है जिस कारण सायल गैरसायलान के हिस्से मे आई कीमती व उपयोगी भूमि को हडपने की गरज से गलत तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। सायलान का प्राईमाफेसी केस साबित नही है ना ही सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे साबित है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति होना असंभव है। वर्णित आराजीयात मे गैरसायलान भी हिस्सेदार है और प्रत्येक इंच पर सहखातेदार का कब्जा माना जाता है इसलिये कानूनन खातेदार को पाबन्द नही किया जा सकता। अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:57:17 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम मातासूला की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता न0 167 मे कुल किता 8 कुल रकवा 1.23 है0 मे सायल 1/2 हिस्से का तथा

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

गैरसायल न0 1 ता 3 प्रत्येक 1/6–1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। सायल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही कर पाया है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण साबित होता हो, तथा प्रकरण मे अत्यावश्यक प्रकृति को साबित नही कर पाये है। सायल व गैरसायल सहखातेदार दर्ज रिकार्ड होने से सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे साबित नही है। तथा गैरसायल सहखातेदार होने के कारण गैरसायल को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। सायल व गैरसायल का कब्जा प्रस्तुत दावा बावत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा मे साबित होना है। इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

आदेश

अतः सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही पाये जाने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पूजा मीना सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

पूजा मीना
सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:57:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner